न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रार्थना पत्र संख्या 312 / 2025(GCMS : 2025/2)

अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर

बनाम

1. **श्री राधेश्यामा गोयल** पुत्र श्री भगवानदास गोयल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर
2. **श्री सुभाष गोयल** पुत्र श्री राम कुमार, 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

28.11.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुए एवं अप्रार्थी सुभाष गोयल की ओर से उनके अधिवक्ता श्री मनीष भारद्वाज उपस्थित हुए। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी श्री सुभाष गोयल ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसमें उनके द्वारा उनके न्यायालय पर अनर्गल आक्षेप लगाते हुए, उनके न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली को श्रीमानजी के न्यायालय में स्थानांतरित करने की प्रार्थना की है।

उन्होनें अपने प्रार्थना पत्र में आगे निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा इस प्रकृति का एक पत्र पूर्व में दिनांक 15.01.2025 को पेश किया गया था, जिसे श्रीमानजी ने अपने आदेश दिनांक 03.03.2025 से खारिज कर, पुनः इसी न्यायालय को सुनवाई हेतु निर्देशित किया गया था।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण श्रीमान् जिला कलक्टर महोदया द्वारा सुनवाई करने हेतु निवेदन किया है। प्राप्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता भी उक्त प्रकरण में सुनवाई नहीं करना चाहती है। इसलिए उन्होनें प्रार्थी द्वारा आवेदित कार्यालय अथवा किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने की प्रार्थना की है।

अप्रार्थी सुभाष गोयल के विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष भारद्वाज ने कथन किया है कि उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया था कि शिकायतकर्ता से आशय का शपथ पत्र लिया जावे कि उनके द्वारा जो शिकायत की गई है, उसके [illegible] इसके द्वारा पूर्व में कोई शिकायत नहीं की गई है लेकिन अधीनस्थ [illegible] द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने बाबत कोई [illegible] नहीं [illegible] गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:50:22 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे यह भी कथन है कि मि[illegible] अधिनियम का बिन्दु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रक्षा गया था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उस पर कोई विवेचन करना उचित नहीं समझा।

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि दिनांक 10.09.2025 को पारिवारिक कार्य से बाहर थे तथा इस सम्बन्ध में पत्रावली पर प्रार्थन पत्र प्रस्तुत किया गया था तथा उनके सहयोगी अधिवक्ता की उपस्थिति में दिनांक 18.09.2025 बताई गई और अंतिम अवसर दिया गया था, परन्तु उनके सहयोगी अधिवक्ता के जाने के बाद पत्रावली में तारीख पेशी 17.09.2025 कर दी गयी। पूर्व की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यदि पत्रावली पर हस्ताक्षर कर तारीख पेशी की सूचना बाबत दिनांक अंकित कर दी जाती तो ऐसा विवाद उत्पन्न नहीं होता।

उनका आगे यह भी कथन है कि पूर्व में उनके द्वारा श्रीमानजी के समक्ष मुंतकिली प्रार्थना पत्र पेश किया था परन्तु पूर्व पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण होने के कारण प्रकरण निष्प्रभावी होने के कारण, श्रीमानजी द्वारा उनका प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया था। इसलिए उनका प्रार्थना श्रीमानजी के न्यायालय में सुनवाई हेतु रखे जाने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत श्री राधेश्याम गोयल ने उपस्थित होकर कथन किया है कि श्री सुभाष गोयल द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये समस्त आरोप गलत एवं तथ्यहीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत तरीके से प्रकरण में कार्यवाही की जा रही है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित है।

उनका आगे यह भी कथन है कि श्री सुभाष गोयल के अधिवक्ता द्वारा जानबूझकर प्रकरण में देरी करने के इरादे से प्रकरण को बार–बार मुंतकिली करने का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। पूर्व पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध भी उनके द्वारा मुंतकिली प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। इसलिए श्री सुभाष गोयल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया और प्रार्थी एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो पाया कि अधीनस्थ न्यायालय अति.जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर के न्यायालय में शिकायत प्रकरण 86 / 2023 अनवान् राधेश्याम गोयल बनाम एम.आर. खन्ना आदि विचाराधीन है, जिसमें अप्रार्थी ने निष्पक्ष न मिलने की सम्भावना व्यक्त कर अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर ने भी उनके न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने की प्रार्थना की है। हमारा यह मत है कि **न्यायालय में बैठने वाले पीठासीन अधिकारियों के लिए न केवल निष्पक्ष होना आवश्यक है अपितु**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:50:22 IST
Reason: SelfAttested.

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपने व्यवहार से भी निष्पक्ष नजर आना आवश्यक होता है ताकि न्याय के इच्छुक पक्षकारान एवं जन साधारण का न्याय व्यवस्था में विश्वास बना रहे। पीठासीन अधिकारी तब तक ही "न्यायालय" है जब तक कि वादकरण के दोनों पक्षकारान का उसमें विश्वास है। अगर एक भी पक्ष द्वारा पीठासीन अधिकारी में अविश्वास व्यक्त कर दिया गया है तो फिर उस प्रकरण विशेष के लिए पीठासीन अधिकारी "न्यायालय" के स्तर को खो चुका होता है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी श्री सुभाष गोयल वर्तमान पीठासीन अधिकारी से निर्णय नहीं करवाना चाहते है एवं पीठासीन अधिकारी स्वयं ने भी उनके न्यायालय में विचारधीन प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरित करने की प्रार्थना की है। इसलिए अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को अन्य न्यायालय में मुंतकिल किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उक्त विवेचन के आधार पर अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ के न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है और उन्हें आदेशित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए, नियमानुसार एवं विधिसम्मत् शीघ्र निर्णय पारित करें। उक्त प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करने की कार्यवाही करें। अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर को भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण की मूल पत्रावली तुरन्त प्रभाव से अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ के न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करें। उभयपक्षकारों को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 29.12.2025 को अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ के न्यायालय में उपस्थित हो। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
अति. कलक्टर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:50:22 IST
Reason: SelfAttested